

दिल्ली विकास प्राधिकरण

आवास एवम शहरी विकास मंत्रालय
इन-सीट्ट पुनर्वास योजना
डी-ब्लाक, विकास सदन,
नई दिल्ली-110023


संख्या: एफ/ ISR/0068/2021/PMAY

दिनांक: 05.04.2023

सार्वजनिक सूचना

आप सभी भूमिहीन कैम्प (क्लस्टर कोड 385) झुग्गी झोपड़ीवासियों को सूचित किया जाता है कि

1. जिन पात्र जेजे वासियों को कब्जा पत्र जारी कर दिया गया है, उनसे अनुरोध है कि वह कब्जा पत्र प्राप्त होने के **30 दिन** के अंदर अपने फ्लैट में चले जाएं तथा अपनी झुग्गी को ध्वस्त करके जमीन को खाली करके कब्जा दिल्ली विकास प्राधिकरण, एस.पी.डी.-2, इंजिनियरिंग विभाग को सौंप दें।
2. जिन झुग्गीवासियों को फ्लैट का आबंटन पहला, दूसरा और तीसरा ड्रा में आ गया था तथा उन्होंने अभी तक अंतिम तिथि निकाल जाने के बाद भी पैसे जमा नहीं करवाये हैं उन्हें एक अंतिम अवसर दिया जा रहा है कि वह अपने फ्लैट की पूरी कीमत ब्याज सहित **नोटिस चिपकाने के 15 दिन के भीतर** जमा करवा दें और अपने फ्लैट का कब्जा ले लें अन्यथा आपका आबंटन निरस्त कर दिया जाएगा।


उप-निदेशक (स्व-स्थाने पुनर्वास)